

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर
पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्वयोदय संबल पखवाड़ा-2025

प्रकरण संख्या:- 184/2021-

शिविर- चौथ का बरवाड़ा

दिनांक:- 4/7/2021-

श्री. जमोडा

उपनाम

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर



:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का डि 1015 A भू. अ. नि. डि 1915 एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम डि 1915 प 0 ह 0 A की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 417 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल वशमद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
	<u>जाम डोहरीकरण</u>	<u>जमोडा बुजी धामी 1/84</u> <u>जमोडा बुजी धामी 1/14</u>	<u>जमोडा बुजी धामी 1/12</u>

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी श्री
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)